Services Housing Co-operative Society Limited
Ashok Nagar,Ranchi-834002
E_Mail – support@ashoknagarranchi.com

पत्रांकः– 96

दिनांकः– 21/11/25

आज दिनांक 20.11.2025 को अपराह्न 4.00 बजे निदेशक मण्डल की बैठक अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:

| | | |
|---|---|---|
| 1.डा0 माधव | – अध्यक्ष | – उपस्थित |
| 2.श्री के0 पी0 पान्डेय | – उपाध्यक्ष | – उपस्थित |
| 3.श्री अनिल शंकर | – अ0 सचिव | – अनुपस्थित |
| 4.श्री शंकर प्रसाद वर्मा | – सं0 सचिव | – अनुपस्थित |
| 5.डा0 रीता लाल | – निदेशक | – अनुपस्थित |
| 6.श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव | – निदेशक | – अनुपस्थित |
| 7.श्रीमती शोभा कुमारी | – निदेशक | – अनुपस्थित |
| 8.श्रीमती जुबी जेन केशरी | – निदेशक | – उपस्थित |
| 9.श्री बसन्त कुमार भटटाचार्य | – निदेशक | – उपस्थित |
| 10.श्री प्रताप सिंह | – निदेशक | – उपस्थित |
| 11.श्रीमती गुंजन सिंह | – निदेशक | – उपस्थित |
| 12.श्रीमती सरोज बाला | – निदेशक | – उपस्थित |

कार्यावली सं0–1– दिनांक 16.11.2025 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

कार्यावली सं0:–2– आयकर विभाग द्वारा प्राप्त Demand और Tribunal में चल रहे मामले की पैरवी हेतु सर्व सहमति से मेसर्स के0 पान्डेया एण्ड कम्पनी रॉची का चयन किया गया। जिसमें सम्पूर्ण मामले के लिए मात्र 75,000/– (पचहतर हजार) रूपये फीस के रूप में मॉग के अनुरूप स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस

कार्य को आयकर न्यायाधिकरण में पैरवी हेतु अधिकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>कार्यावली सं0–3</u>– माननीय निबंधक न्यायालय कोआपरेटिव सोसाईटी ,झारखण्ड, रॉंची द्वारा अपीलवाद सं0– 5/25 एवं 11/25 में दिनांक 13.11.25 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यान्वित कर दी गयी है। जिसके अर्न्तगत निर्णय की प्रति संबधित बैंकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी गयी है।

साथही निदेशानुसार दिनांक 16.11.25 के निदेशक मण्डल की बैठक में कमिटि का गठन कर दिया गया है। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से सभी दिनचर्या एवं वितीय कार्य का निष्पादन किया जायेगां। जहॉं तक Cash Book (रोकड़ बही) में Entry एवं Counter Sign का प्रश्न है, अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत निदेशक के द्वारा किया जायेगा। Cheque में हस्ताक्षर सोसाईटी की Bye-laws के नियम 26 (ii) के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा दो निदेशक श्री बसन्त कुमार भट्टाचार्य एवं श्री प्रताप सिह, निदेशक द्वारा विधिवत वित्तीय नियमावली के अनुसार किया जायेगा। न्यायादेश के अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति निबंधक, कोआपरेटिव सोसाइटी एवं जिला कोआपरेटिव पदाधिकारी , रॉंची को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी।

<u>कार्यावली सं0–4</u>– दिनांक 7.12.2025 को साधारण आमसभा की बैठक आहुत है। इस कार्य हेतु बुकलेट तैयार करने के लिए मेसर्स अन्नपूर्णा प्रेस एण्ड प्रोसेज को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यालय को निर्देश दिया गया कि प्रतिवेदन सोसाईटी के Website में Upload कर दिया जाय।

<u>अन्यान्यः–</u>

(क) विमर्श के दौरान उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा यह प्रश्न किया गया कि क्या–

1. श्रीमती गुंजन सिंह, प्लौट सं0– 148/सी–2 एवं

2. श्रीमती सरोज बाला , प्लॉट सं0– 287/सी का चयन SC/ST के सदस्य के स्थान पर किया गया है कुछ लोगो नें वाट्सअप पर ऐसा मेसेज दिया था। इस प्रसंग में अध्यक्ष ~~महोदय~~ ने उपाध्यक्ष ~~महोदय~~ को स्पष्ट कर दिया कि इन दोनों का चयन SC/ST Quota से नहीं किया गया है बल्कि को–आपरेटिव सोसाईटी एक्ट

Specialised हैं। श्रीमती गुंजन सिंह Banking Sector में तथा श्रीमती सरोज बाला Social Activity क्षेत्र में विशेषज्ञ है। तत्संबंधी Circular के अध्ययन के पश्चात् उपाध्यक्ष ने अपनी सहमति दी।

श्रीमती गुंजन सिह का चयन दिनांक 8.6.2025 को एवं श्रीमती सरोज बाला का चयन दिनांक 28.8.2025 की निदेशक मण्डल की बैठक में निदेशक के रूप में चयन किया गया है एवं वे कार्यरत है।

सर्व सहमति से पूर्व के निर्णय को संपुष्ट किया गया।

**(ख)** गेट नं0–4 के पास अवस्थित श्री राजकेश्वर शर्मा का बिजली दूकान अवस्थित है जो प्रायः बन्द रहता है। इसके कारण स्टील गेट का अधिष्ठापन नहीं हो पा रहा है। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि भूमि अशोक नगर सोसाईटी की है और दुकान किसी भी सदस्य को आवंटित नहीं है एवं श्री शर्मा द्वारा पिलर बनने के पश्चात् स्टील गेट लगाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में इस दुकान के एग्रीमेन्ट को यथाशीघ्र रद्द करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी दुकानों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के लिए अलग से बैठक में निर्णय करना उचित होगा।

**(ग)** सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सोसाईटी में करायें गये कार्यों, जो सम्पन्न हो चुका है एवं उन संवेदकों का भुगतान लंबित है। यथाशीघ्र भुगतान करने की कार्रवाई की जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

| | | |
|---|---|---|
| श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य<br>निदेशक | श्री प्रताप सिंह<br>निदेशक | डॉ0 जूबी जेन केशरी<br>निदेशक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| श्रीमति गुंजन सिंह<br>निदेशक | श्रीमति सरोज बाला<br>निदेशक | श्री के0 पी0 पाण्डेय<br>उपाध्यक्ष | डॉ0 माधव<br>अध्यक्ष |